कामये दुःखतप्रानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।।

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
(PMEGP)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) - राष्ट्रीय नोडल अभिकरण

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।।

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री रोजगार योजना का विलय कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्यवन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को एकमात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा आयोग के अतिरिक्त राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी है। इस योजना के अन्तर्गत उद्यम स्थापित करने के लिये रु. 25 लाख तक की परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (सब्सिडी) अनुदान का प्रावधान है।

1. परियोजना-पात्रता :

- लाभार्थी की उम्र 18 साल से अधिक हो।
- कम से कम 8वीं कक्षा पास (विनिर्माण क्षेत्र में रु. 10 लाख और सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए)।
- स्वयं सहायता समूह।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं।
- उत्पादन आधारित सहकारी समितियाँ।
- दानदाता न्यास।
- परियोजना की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं।
- योजना के अन्तर्गत केवल स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों को सहायता।
- राज्य या केन्द्र सरकार की किसी योजना में सब्सिडी का लाभ ले चुकी अथवा ले रही इकाइयाँ वर्तमान योजना हेतु पात्र नहीं होंगी।

(साझेदार कम्पनी, प्राइवेट लि. कम्पनियां, संयुक्त उद्यमी, संयुक्त ऋणी, का-आबलीगेटर अथवा एच.यू.एफ. इस योजना के पात्र नहीं हैं।)

योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2. पात्र गतिविधियां :

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग।
- प्रति व्यक्ति अचल पूँजी निवेश समतल क्षेत्र में अधिकतम रु. 1.00 लाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में रु. 1.50 लाख।
- परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम रु. 25.00 लाख और सेवा इकाई के लिए रु. 10.00 लाख।

3. कार्यान्वयन अभिकरण :

सम्पर्क को आसान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में तीन अभिकरण कार्य कर रहे है।

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग-ग्रामीण क्षेत्र।
- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड-ग्रामीण क्षेत्र।
- प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र-शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र।

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।।

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

4. बैंक :

- समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक लि. व आईसीआईसीआई बैंक।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

5. परिचालन क्षेत्र :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 2006 के तहत यथाघोषित ग्रामीण क्षेत्र से आशय–

(अ) कोई ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।

(ब) ऐसा कोई भी गांव, नगर या कस्बा जिसकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक न हो।

6. वित्तीय सहायता की मात्रा एवं प्रकृति :

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)	मार्जिन (सब्सिडी) (परियोजना लागत का)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग/सीमावर्ती क्षेत्र)	05%	25%	35%

7. ऋण की मात्रा :

- बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत ऋण राशि तथा विशेष श्रेणी के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे।
- बैंक परियोजना की स्थापना के लिए संपूर्ण स्वीकृत राशि जारी करेंगे।
- परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 10.00 लाख तक संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण (Collateral Security Free Loan) प्रदान करना अनिवार्य है।

8. कलर कोडिंग :

लाभार्थियों और आवेदन के स्रोत अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग/राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा जिला उद्योग केन्द्र की पहचान के लिए आवेदन पत्र, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के दावे के प्रपत्र, समायोजन पत्र और भौतिक सत्यापन के प्रपत्रों की निम्नानुसार कलर कोडिंग की गयी है–

खा. ग्रा. आयोग सफेद	रा. खा. ग्रा. बोर्ड हल्का पीला	जिला उद्योग केन्द्र आसमानी नीला

9. आवेदन की पद्धति :

- आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप आयोग की बेवसाईट www.kvic.org.in/www.pmegp.in से लिया जा सकता है अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

- आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज व प्रमाणपत्रों के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- संबंधित कार्यालय आवेदन को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष रखेंगे।
- जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उद्यमियों का चयन।
- योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा सीधे ही प्राप्त आवेदन पत्रों को भी अनुशंसा करने के लिए जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष रखा जाएगा।

10. परिचालन कार्यविधि :

- बैंक, ऋण की पात्रता के बारे में अपना निर्णय लेंगे और परियोजना को मंजूर करेंगे। अस्वीकृति की स्थिति में कारण के विषय में जिला टास्क फोर्स समिति को सूचित करना होगा।
- परियोजना की मंजूरी के बाद लाभार्थियों को स्वयं का योगदान की परियोजना लागत 5% या 10% राशि बैंक में जमा करनी होगी।
- परियोजना लागत में पूँजीगत ऋण और एक चक्र की कार्यशील पूँजी का समावेश होगा।

11. उद्यमी का योगदान :

इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के उद्यमी को निवेश के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपना योगदान करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय/अन्य कमजोर वर्ग एवं सीमावर्ती क्षेत्र के उद्यमियों के मामले में यह योगदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा।

12. उद्यमिता विकास कार्यक्रम :

- प्रशिक्षण की समयावधि 2 सप्ताह होगी। सेवा के क्षेत्र की रू. 2.00 लाख तक की इकाइयों के लिए 3 दिन।
- बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद व ऋण जारी करने से पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य।

13. मार्जिन मनी जारी करना और उसका समायोजन :

- लाभार्थी, ऋण की पहली किस्त जारी होने के बाद वित्तपोषक बैंक के माध्यम से मार्जिन मनी का दावा 15 दिन में नोडल शाखा में प्रस्तुत करना है।
- इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि इकाई प्रमंरोसृ कार्यक्रम के निहित मापदंडों को पूरा करती है, नोडल शाखा वित्तपोषक शाखा को मार्जिन मनी 15 दिन के अन्दर जारी कर देगी।
- बैंक की नोडल शाखा दावे के मूल फार्म को संबंधित कार्यालय अर्थात खा.ग्रा. आयोग/रा.खा.ग्रा.बोर्ड/ जिला उद्योग केन्द्र को अग्रेषित करेगी और एक प्रति अपने पास रखेगी।
- दावे के मूल फार्मेट की प्राप्ति के बाद खा.ग्रा.आयोग/रा.खा.ग्रा. बोर्ड/जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित फार्मेट में पावती पत्र जारी करेगा।

- लाभार्थी के नाम से टीडीआर में रखी गयी मार्जिन मनी की लॉक इन अवधि 3 वर्ष की होगी।
- टीडीआर पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और न ही उसकी समतुल्य ऋण राशि पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
- मार्जिन मनी को इकाई के भौतिक सत्यापन के बाद ही उद्यमी के खाते में समायोजित किया जायेगा।

14. भौतिक सत्यापन :

- बैंक से पूँजीगत ऋण जारी होने से 24 महीने की अवधि के अंदर 100 प्रतिशत स्थापित इकाइयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
- यह कार्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले बाहरी अभिकरणों से कराया जाता है।

15. निषिद्ध कार्यों की सूची :

(क) मांस से जुडे उद्योग/रोजगार अथवा उसका प्रसंस्करण, डिब्बाबन्दी या माँसाहारी खाद्यपदार्थ आदि, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या माँसाहारी भोजन परोसा जाता हो।

(ख) बीडी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री। साथ ही कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताडी निकालना और बेचना।

(ग) चाय, कॉफी, रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुडे उद्योग/कार्य, रेशमपालन (ककून पालन), बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यानिकी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन कार्य।

(घ) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः एकीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

(ड) पश्मीना प्रोसेसिंग, कताई व बुनाई कार्यक्रम से संबंधित उद्योग।

(ण) ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार में ऑटो रिक्शा, जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक नौका और साईकिल रिक्शा को छोडकर)।

(च) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां।

चिन्हित नोडल बैंकों की सूची

क्र.	बैंक का नाम	नोडल शाखा का पता
1.	पंजाब नेशनल बैंक	बापू नगर, जयपुर
2.	भारतीय स्टेट बैंक	केलगिरि आई हास्पिटल मालवीय नगर, जयपुर
3.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	गाँधी नगर, जयपुर
4.	ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कैम्पस, बजाज नगर, जयपुर
5.	बैंक ऑफ बडौदा	नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।।

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTRPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

नोट :

(I) उक्त बैंक व उनके प्रायोजित बैंकों की शाखाएँ मार्जिन मनी उक्त चिन्हित नोडल शाखाओं से प्राप्त करेंगी।

(II) इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक व आईसीआईसीआई बैंक के मार्जिन मनी दावों का भुगतान ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स की नोडल शाखा से किया जायेगा।

(III) उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी राष्ट्रीयकृत बैंक इस योजना से सम्बंधित मार्जिन मनी दावा भारतीय स्टेट बैंक, केलगिरि आई हास्पिटल मालवीय नगर, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे।

(IV) उक्त बैंकों से राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर के कार्य क्षेत्र में आने वाले 23 जिलों अजमेर, अलवर, बाँसवाडा, बून्दी, भरतपुर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, दौसा, धौलपुर, डूँगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, पाली, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व उदयपुर के जिलों में मार्जिन मनी दावों का भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा एवम् राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केन्द्रों से सम्बंधित समस्त जिलों के मार्जिन मनी दावे उक्त शाखाओं में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(V) राज्य के शेष 10 जिलों (बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, सीकर) के केवीआईसी से सम्बन्धित मार्जिन मनी दावों का भुगतान आयोग के संभागीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा चिन्हित नोडल शाखाओं से प्राप्त किये जायेंगे।

अधिक जानकारी हेतु आप सम्पर्क कर सकते हैं:-

(1) नजदीकी पंचायत समिति कार्यालय में उपलब्ध ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी।

(2) महाप्रबन्धक, समस्त जिला उद्योग केन्द्र

(3) जिला उद्योग अधिकारी (खादी), राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, समस्त जिला उद्योग केन्द्र

(4) आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर दूरभाष : 0141-2227796, फैक्स : 0141-2227516

(5) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर दूरभाष : 0141-2705197-200, फैक्स : 0141-2706510

(6) सम्भागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, किसान भवन, श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर दूरभाष : 0151-2250171, फैक्स : 0151-2250161

(7) राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूँगरी संस्थान योजना, जयपुर दूरभाष : 0141-2707850, फैक्स : 0141-2706969

विस्तृत जानकारी हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
बेबसाईट www.kvic.org.in, www.pmegp.in को भी देखा जा सकता है।

राज्य कार्यालय

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
झालाना डूंगरी संस्थान योजना, जयपुर (राज.)
फोन नं.: 2707850 फैक्स नं.: 0141-2706969 ई-मेल: kvicjpr@gmail.com

Printed at : Harihar Printers, Jaipur Ph.: 2600850